



संख्या 16/29/2023-प्रशा./ई.ऑफिस:157401

दिनांक:25/06/2025

कार्यालय जापन

दिनांक 06/09/2024 के समसंख्यक कार्यालय जापन का अधिक्रमण करते हुए, आईसीएमआर-संस्थागत परियोजना मानव संसाधन पदों के लिए यात्रा/ दैनिक भत्ता की पात्रता दर को निम्नानुसार संशोधित किया गया है:-

क्र. सं.	नामपद्धति	यात्रा भत्ता पात्रता	दैनिक भत्ता पात्रता
1	परियोजना वैज्ञानिक-I (चिकित्सा-गैर चिकित्सा)	हवाई जहाज़ द्वारा - किफायती श्रेणी ट्रेन द्वारा - एसी - II टियर/एसी चेयर कार बस द्वारा - एसी बस सहित किसी भी प्रकार के सार्वजनिक परिवहन का वास्तविक किराया या ऑटो रिक्शा टैक्सी (नॉन-एसी) के लिए निर्धारित सरकारी दरें	होटल आवास/ अतिथि गृह के लिए प्रतिदिन 2250/- रुपये तक की अदायगी। शहर के भीतर यात्रा के लिए प्रतिदिन 338/- रुपये तक के नॉन-एसी टैक्सी शुल्क की प्रतिपूर्ति। प्रतिदिन 900/- रुपये तक आहार संबंधी बिलों की अदायगी।
3	परियोजना वैज्ञानिक-III (चिकित्सा-गैर चिकित्सा)	हवाई जहाज़ द्वारा - किफायती श्रेणी ट्रेन द्वारा - एसी - I टियर/एसी चेयर कार बस द्वारा - एसी बस सहित किसी भी प्रकार के सार्वजनिक परिवहन का वास्तविक किराया या ऑटो रिक्शा टैक्सी (नॉन-एसी) के लिए निर्धारित सरकारी दरें	होटल आवास/अतिथि गृह के लिए प्रतिदिन 4500/- रुपये तक की अदायगी। शहर के भीतर यात्रा के लिए प्रतिदिन 50 किलोमीटर एसी टैक्सी शुल्क की अदायगी। 1000/- रुपये प्रतिदिन तक आहार संबंधी बिलों की अदायगी।
4	परियोजना तकनीकी सहायक- I	ट्रेन द्वारा - एसी - III टियर/एसी चेयर कार बस द्वारा - एसी बस सहित किसी भी प्रकार के सार्वजनिक परिवहन का वास्तविक किराया या ऑटो रिक्शा टैक्सी के लिए निर्धारित सरकारी दरें	होटल आवास/ अतिथि गृह के लिए प्रतिदिन 450/- रुपये तक की अदायगी। शहर के भीतर यात्रा के लिए प्रतिदिन 113/- रुपये तक के नॉन-एसी टैक्सी शुल्क की अदायगी। प्रतिदिन 500/- रुपये तक आहार संबंधी बिलों की अदायगी।
5	परियोजना तकनीकी सहायक- II		

6	परियोजना तकनीकी सहायक- III	हवाई जहाज़ द्वारा - किफायती श्रेणी ट्रेन द्वारा - एसी - II टियर/एसी चेयर कार बस द्वारा - एसी बस सहित किसी भी प्रकार के सार्वजनिक परिवहन का वास्तविक किराया या ऑटो रिक्शा टैक्सी (नॉन-एसी) के लिए निर्धारित सरकारी दरें	होटल आवास/ अतिथि गृह के लिए प्रतिदिन 750/- रुपये तक की अदायगी। शहर के भीतर यात्रा के लिए प्रतिदिन 225/- रुपये तक के नॉन-एसी टैक्सी शुल्क की अदायगी प्रतिदिन 800/- रुपये तक आहार संबंधी बिलों की अदायगी।
7	परियोजना नर्स- I	ट्रेन द्वारा - एसी - III टियर/एसी चेयर कार बस द्वारा - एसी बस सहित किसी भी प्रकार के सार्वजनिक परिवहन का वास्तविक किराया या ऑटो रिक्शा टैक्सी के लिए निर्धारित सरकारी दरें	होटल आवास/ अतिथि गृह के लिए प्रतिदिन 450/- रुपये तक की अदायगी। शहर के भीतर यात्रा के लिए प्रतिदिन 113/- रुपये तक के नॉन-एसी टैक्सी शुल्क की अदायगी। प्रतिदिन 500/- रुपये तक आहार संबंधी बिलों की अदायगी।
8	परियोजना नर्स- II		
9	परियोजना नर्स- III	हवाई जहाज़ द्वारा - किफायती श्रेणी ट्रेन द्वारा - एसी - II टियर/एसी चेयर कार बस द्वारा - एसी बस सहित किसी भी प्रकार के सार्वजनिक परिवहन का वास्तविक किराया या ऑटो रिक्शा टैक्सी (नॉन-एसी) के लिए निर्धारित सरकारी दरें	होटल आवास/ अतिथि गृह के लिए प्रतिदिन 750/- रुपये तक की अदायगी। शहर के भीतर यात्रा के लिए प्रतिदिन 225/- रुपये तक के नॉन-एसी टैक्सी शुल्क की अदायगी। प्रतिदिन 800/- रुपये तक आहार संबंधी बिलों की अदायगी।
10	परियोजना नर्स- IV	हवाई जहाज़ द्वारा - किफायती श्रेणी ट्रेन द्वारा - एसी - II टियर/एसी चेयर कार बस द्वारा - एसी बस सहित किसी भी प्रकार के सार्वजनिक परिवहन का वास्तविक किराया या ऑटो रिक्शा टैक्सी (नॉन-एसी) के लिए निर्धारित सरकारी दरें	होटल आवास/ अतिथि गृह के लिए प्रतिदिन 2250/- रुपये तक की अदायगी। शहर के भीतर यात्रा के लिए प्रतिदिन 338/- रुपये तक के नॉन-एसी टैक्सी शुल्क की अदायगी। प्रतिदिन 900/- रुपये तक आहार संबंधी बिलों की अदायगी।

नोट:

1. होटल आवास/अतिथि गृह में जीएसटी शामिल नहीं है।
2. होटल आवास/ अतिथि गृह के खर्च की प्रतिपूर्ति के लिए रसीद प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

इस पत्र को सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त है।

जगदीश राजेश
सहायक महानिदेशक (प्रशा.)

प्रतिलिपि:

1. महानिदेशक/अपर महानिदेशक/वरिष्ठ उप महानिदेशक (प्रशा.)/वरिष्ठ वित्त सलाहकार के निजी सचिव
2. संबंधित संस्थानों/केंद्रों के निदेशक/प्रभारी निदेशक
3. सभी प्रभाग प्रमुख, परिषद मुख्यालय
4. उप महानिदेशक (प्रशा.)/सहा. महानिदेशक
5. डॉ. मनजीत सिंह चाल्गा वैज्ञानिक-डी, परिषद मुख्यालय- वेबसाइट पर अपलोड हेतु